न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी— श्री समदरसिंह भाटी,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 122/2025

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

सुजाणाराम पुत्र भीयाराम वयस्क जाति कलबी निवासी ठावो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा ।	1. चेनाराम पुत्र सुखाराम वयस्क 2. अजबाराम पुत्र सुखाराम वयस्क 3. दुर्गाराम पुत्र जेठाराम वयस्क 4. नरसींगाराम पुत्र दत्तक पुत्र मेरामाराम वयस्क 5. भेराराम पुत्र जेठाराम वयस्क 6. मागाराम पुत्र सुखाराम वयस्क 7. रायमलराम पुत्र सुखाराम वयस्क 8. हडमतसिंह पुत्र सुखाराम वयस्क 9. हरदानाराम पुत्र जेठाराम वयस्क जातियान कलबी निवासीयान ठावो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा । 10. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिणधरी जिला बालोतरा। 11. तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 11 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

<u>निर्णय</u>

दिनांक— 14.10.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण [illegible] है,कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 566/5[illegible] 567/[illegible]1, 568/521 रकबा क्रमशः 7.3156, 0.1262,3.6577 हैक्टेयर मौजा ठावों की ढाणी प[illegible] क्षेत्र कादानाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/3 [illegible] तथा विप्रार्थीगण का भी अपने—अपने दर्ज हिस्सा अनुसार [illegible] खातेदारी अधिकारों [illegible] इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग—अलग हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्सों में माफिक प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेदो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:47:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू–भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा उक्त खसरा में प्रार्थी के कब्जा काश्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा सड़क मार्ग पर विप्रार्थीगण स्वयं काबिज होने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बटवाडा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि में विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि–भाग निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नही है. क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है प्रार्थी को सड़क मार्ग तक आने जाने नहीं दे रहे है तथा जगह जगह निर्माण कर बाधा पैदा कर रहे है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है,कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 566/521, 567/521, 568/521 रकबा क्रमशः 7.3156, 0.1262,3.6577 हैक्टेयर मौजा ठावों की ढाणी पटवार क्षेत्र कादानाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थी के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जायें।

विप्रार्थी सं. 1 से 9 को जारी नोटिस तामिल होने के बावजूद भी उनके द्वारा अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके जवाब का अवसर समाप्त किया गया। विप्रार्थी सं. 11 पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर पक्षकारान के मध्य कब्जा काश्त की स्थिति की जानकारी हेतु विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने की सिफारिश की गई। शेष विप्रार्थी बावजूद नोअिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 566/521, 567/521, 568/521 रकबा क्रमशः 7.3156, 0.1262,3.6577 हैक्टेयर मौजा ठावों की ढाणी पटवार क्षेत्र कादानाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग–अलग हिस्से दर्ज है। जहां तक प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेदो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Samandar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:47:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सिणधरी

तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है के सन्दर्भ में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो कि विप्रार्थी द्वारा ऐसा को कृत्य कारित किया जा रहा है अथवा किया गया है। प्रार्थी स्वंय द्वारा भी अपने आवेदन के तथ्यों में स्वीकार किया कि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में यह कथन प्रतिपादित नहीं होता है कि किसी सहखातेदार को उसके हिस्से में कब्जे काश्त को लेकर पावन्द किया जावे। जहां तक पक्षकार के कब्जे काश्त के अनुरूप विधिवत वंटवाड़े को प्रश्न है, जो कि मूल वाद में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तलव किया जा चुका है, तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही कब्जा काश्त की पुष्टि का निर्धारण किया जाना है। ऐसी स्थिति में प्रथम द्वष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:47:01 IST
Reason: SelfAttested